

1872
सं०.१...नेडा-ईएस-136/सूचना अधिकार/200
वैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान, उ०प्र०
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दिनांक : 06-09 2006

कार्यालय ज्ञाप

संस्थान के कार्यालय ज्ञाप सं० 1891/ नेडा-ईएस-136/सूचना अधिकार/2005 दिनांक 07.10.2005 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुक्रम में जनपद स्तरीय परियोजना कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की व्यवस्था आदेशित की गयी थी ।

उपरोक्तानुसार पूर्व में आदेशित व्यवस्था को अवकृगित करते हुए निम्नवत संशोधित व्यवस्था एतदद्वारा आदेशित की जाती है :

- 1 नेडा परियोजना कार्यालयों पर तैनात वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी जनपद स्तरीय जन सूचना अधिकारी होंगे ।
- 2 जनपदीय परियोजना कार्यालयों के परियोजना नियंत्रक अधिकारी जनपद स्तर पर अपीलीय अधिकारी होंगे ।
- 3 नेडा के जिन परियोजना कार्यालयों में वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी तैनात नहीं है उन जनपदों में निकटतम जनपद के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी जो उक्त जनपद के लिए संस्थान के कार्यालय ज्ञाप सं. 933 नेडा-ईएस-कार्यवितरण/2000-01 दिनांक 14. 6.2006 द्वारा संबद्ध किये गये है तथा जिन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, वे उक्त जनपद के लिए जनसूचना अधिकारी होंगे तथा संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना नियंत्रक अधिकारी अपीलीय अधिकारी होंगे ।

उपरोक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

(संजय भुसरेड्डी)
निदेशक, नेडा ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1 जनपदीय परियोजना कार्यालयों में तैनात समस्त वरिष्ठ परियोजना अधिकारी ग्रेड-2/परियोजना अधिकारी/अवर अभियन्ता, नेडा को अनुपालनार्थ ।
- 2 परियोजना नियंत्रक अधिकारी, नेडा ।
- 3 समस्त अधिकारी, नेडा, मुख्यालय/शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र, चिनहट, लखनऊ ।
- 4 आशुलिपिक, सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, नेडा ।
- 5 दैयवित्तक सहायक, निदेशक, नेडा ।
- 6 अनुसचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
- 7 अनुसचिव, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
- 8 नोटिस बोर्ड हेतु ।

(संजय भुसरेड्डी)
निदेशक, नेडा ।